2017 का विधेयक संख्यांक 16

[दि स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (सेसेशन आफ लाइबिलिटीज) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर लोकहित में दायित्वों की समाप्ति के लिए और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017 है ।

(2) यह 31 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियत दिन" से 31 दिसंबर, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) "अनुग्रह अवधि" से केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट इस अधिनियम के अनुसार निक्षिप्त किए जा सकते हैं ;

(ग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई सूचना

अभिप्रेत है;

(घ) "रिज़र्व बैंक" से केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है; (1934 का 2)

(ड.) "विनिर्दिष्ट बैंक नोट" से 8 नवंबर, 2016 को या इससे पूर्व विद्यमान पांच सौ रुपये या एक हजार रुपये की श्रृंखलाओं के अंकित मूल्य का कोई बैंक नोट अभिप्रेत है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित किए गए हैं, के वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में है । (1934 का 2; 1949 का 10)

विनिर्दिष्ट बैंक नोट के लिए रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार का दायित्व नहीं रहना ।

3. नियत तारीख को और से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन जारी भारत सरकार में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3407 (अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट, जो विधिमान्य मुद्रा के रुप में समाप्त हो गए हैं, धारा 34 के अधीन रिजर्व बैंक का दायित्व नहीं रहेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार की प्रत्याभूति नहीं रहेगी । (1934 का 2)

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विनिमय।

4. (1) धारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 8 नवंबर, 2016 को या इससे पूर्व विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखने वाले निम्नलिखित व्यक्ति अनुग्रह अवधि के भीतर ऐसी घोषणाओं या कथनों सहित रिजर्व बैंक के ऐसे कार्यालयों में या ऐसी अन्य रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निविदत्त करने के हकदार होंगे, अर्थात् :-

(i) भारत का कोई नागरिक, ऐसी शर्तों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन घोषणा करता है कि वह 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के मध्य भारत से बाहर था ; या

(ii) व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी और ऐसे कारणों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) रिजर्व बैंक, यदि उसका समाधान हो जाता है, ऐसे सत्यापन करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे कि धारा 3 में निर्दिष्ट

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नोटों को निक्षिप्त करने में विफलता के लिए कारण वास्तविक हैं, नोटों के मूल्य को उसके अपने ग्राहक को जानिए शिकायत बैंक खाते में ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जमा कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नोटों के मूल्य को जमा करने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति उसको ऐसी अस्वीकृति की संसूचना के चौदह दिन के भीतर रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अपने ग्राहक को जानिए शिकायत बैंक खाता" से ऐसा खाता अभिप्रेत है जो बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता है ।

1949 का 10

विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखने, अंतरित करने या प्राप्त करने पर प्रतिषेध ।

5. कोई व्यक्ति नियत दिन को और से, जानते हुए या जानबूझकर कोई विनिर्दिष्ट बैंक नोट नहीं रखेगा, अंतरित या प्राप्त नहीं करेगा:

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी -

(क) किसी व्यक्ति द्वारा -

(i) अनुग्रह अवधि की समाप्ति तक ; या

(ii) अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पश्चात् , -

(अ) अंकित मूल्य का विचार किए बिना कुल दस नोटों से अधिक नहीं ; या

(आ) अध्ययन, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के प्रयोजनों के लिए पच्चीस नोटों से अधिक नहीं ;

(ख) रिजर्व बैंक या उसके अभिकरणों द्वारा, या रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ग) न्यायालय में लंबित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय के निदेश पर किसी व्यक्ति द्वारा ।

धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

6. जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई घोषणा या कथन जानते हुए या जानबूझकर करता है, जो तात्विक विशिष्टियों में असत्य है या कोई तात्विक कथन करने का लोप करता है या कोई ऐसा कथन करता है जिस पर वह विश्वास करता है कि सत्य नहीं है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक या दिए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुणा,

जो भी उच्चतर हो, से दंडनीय होगा ।

धारा 5 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

7. जो कोई धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपये या उल्लंघन में अंतर्वलित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुणा, जो भी उच्चतर हो, से दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध।

8. (1) जहां धारा 6 या धारा 7 में निर्दिष्ट किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कंपनी है, प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन या व्यतिक्रम किए जाने के समय भारसाधन में था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, के साथ-साथ कंपनी, उल्लंघन या व्यतिक्रम के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह सिद्ध करता है कि उल्लंघन या व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उल्लंघन या व्यतिक्रम को निवारित करने के लिए सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया था ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध होता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है या उसे उनकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है; तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और वे तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(क) "कोई कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कोई फर्म, कोई न्यास, कोई सहकारी सोसायटी और अन्य व्यष्टियों का संगम अभिप्रेत है;

(ख) किसी फर्म या न्यास के संबंध में "निदेशक" से फर्म में कोई भागीदार या न्यास में कोई हिताधिकारी अभिप्रेत है ;

अपराधों के संबंध में विशेष उपबंध ।

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय या किसी महानगर

1974 का 2

मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

10. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार, रिजर्व बैंक या उनके किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

11. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसे बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र जब सत्र चल रहा हो, संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष कुल 30 दिनों की कालवधि के लिए जो एक या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में ही रखा जाएगा, और यदि उपर्युक्त सत्र की समाप्ति से पहले सत्र या उत्तरवर्ती सत्रों के तुरंत बाद दोनों सभाएं नियम में कोई परिवर्तन के लिए सहमत होती हैं या दोनों सभाएं सहमत होती है कि नियम न बनाया जाए तो तत्पश्चात् नियम ऐसे परिवर्तित रुप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा जैसा भी स्थिति हो इसलिए इस के बावजूद ऐसा कोई परिवर्तन या अमान्यकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी भी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने के शक्ति ।

12. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाईको दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

2016 का अध्यादेश संख्यांक 10

13. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 को एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्तीय प्रणाली से बेहिसाबी धन और जाली भारतीय करेंसी नोटों को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व बैंक बोर्ड की सिफारिश पर अपनी अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3407(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा घोषणा की है कि पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के अंकित मूल्य के बैंक नोटों की विद्यमान श्रृंखला उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उस विस्तार तक 9 नवंबर, 2016 से विधिमान्य मुद्रा के रूप में नहीं रहेगी ।

2. पूर्वोक्त अधिसूचना के जारी करने के पश्चात्, निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टता और अंतिमत्ता प्रदान करना आवश्यक महसूस किया गया था :--

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 की उपधारा (1) यह उपबंध करता है कि रिजर्व बैंक के दायित्व वह होगी जो भारत सरकार के उन करेंसी नोटों और उन बैंक नोटों की कुल रकम के बराबर है जो तत्समय परिचालन में है । चूंकि रिजर्व बैंक ऐसे नोटों के लिए स्वप्रेरणा से दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए दायित्वों के निर्वचन के लिए विधिक द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उपधारा (1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक बैंक नोट केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया जाएगा । यद्यपि भारत सरकार द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोट की विधिक मुद्रा प्रकृति नहीं रह गई है, विधि द्वारा उक्त प्रत्याभूति को वापस लेना आवश्यक है; और

(ग) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था में चलने की संभावना तब तक है जब तक ऐसे नोटों के रखे जाने को अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के संबंध में विधान बनाना आवश्यक हो गया था । संसद सत्र में नहीं थी और अत्यावश्यक विधान लाया जाना आवश्यक हो गया था इसलिए राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों में दायित्वों को

समाप्त करने के लिए तारीख 31 दिसंबर, 2016 को विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या 10) प्रख्यापित किया गया था ।

4. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करता है, अर्थात् :--

(क) यह उपबंध करना कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का, जो विधिक मुद्रा नहीं रह गई है, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के दायित्व में नहीं रहेगी;

(ख) यह उपबंध करना कि भारत का नागरिक (जो यह घोषणा करेता है कि वह 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के बीच भारत से बाहर था) 8 नवंबर, 2016 को या उससे पहले विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखे हुए था अनुग्रह अवधि के भीतर ऐसी घोषणाओं या कथनों के साथ, रिजर्व बैंक के ऐसे कार्यालयों में या ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, देने के हकदार होंगे ;

(ग) नियत दिन से अर्थात् 31 दिसंबर, 2016 से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने, अंतरण करने या प्राप्त करने को प्रतिषिद्ध करना ;

(घ) प्रस्तावित अध्यादेश के उपबंधों के लिए शास्ति का उल्लंघन करना और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय को शक्ति प्रदान करना ।

5. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

(अरुण जेटली)

नई दिल्ली :
30 जनवरी, 2017

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 के अधीन रिजर्व बैंक के दायित्वों के न रहने और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रत्याभूती न रहने के लिए है । इस प्रकार विधेयक में केन्द्रीय सरकार और इस प्रकार भारत की संचित निधि पर समाश्रित दायित्व पर प्रभाव डालने वाला विनिश्चय अंतर्वलित है ।

2. कोई पूंजीगत या आवर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 11 विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों को समाप्त करना), विधेयक, 2017 अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

2. वे विषय, जिनके लिए पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बना सकेगी, जो प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे संबंधी विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND–4301LS(CRC)–31-1-2017.

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
5	30	13. विनिर्दिष्ट	13.(1) विनिर्दिष्ट
6	9	और अंतिमत्ता	और अंतिमता
6	11	करता है कि रिज़र्व बैंक के दायित्व वह होगा	करती है कि रिज़र्व बैंक के दायित्व वे होंगे,
6	14	इसलिए दायित्वों के निर्वचन के	इसलिए ऐसे दायित्वों के निर्वहन के
6	15	विधिक द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो;	विधि द्वारा ऐसा करना आवश्यक है;
6	21	के चलते	के साथ
7	8	करेता	करता
7	12	देने के	देने का
7	13	होंगे	होगा
7	16	उपबंधों के लिए शास्ति का उल्लंघन करना और	उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति अधिरोपित करना और
9	2	दायित्वों को समाप्त करना	दायित्वों की समाप्ति